## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

**बइजलारा– जगदीश प्रसाद गौड़, आर0ए0एस0**

राजस्व अपील संख्या 03/2024 जीसीएमएस नम्बर 2024/8

अपीलान्ट
1. रूपाराम पुत्र धन्नाराम 2. रामेश्वर पुत्र धन्नाराम
जातियान जाट निवासी इन्दौखा तहसील नावां जिला डीडवाना–कुचामन।

रेस्पोडेन्ट्स
1. सरकार जरिये हल्का पटवारी इन्दौखा तहसील नावां।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नावां जिला डीडवाना–कुचामन ।

उपस्थित अधिवक्ताः–
1. बीरमा राम किरडोलिया अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. राज पैरोकार नायब तहसीलदार नावां राज0 सरकार की ओर से।

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

**निर्णय**

दिनांकः 18.07.2024

1 यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार नावां के राजस्व प्रकरण संख्या 48/2022 बअनवान सरकार जरिये नायब तहसीलदार नावां बनाम श्री रूपाराम में पारित निर्णय दिनांक 13.04.2023 के विरूद्ध पेश की है।

2 अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का इन्दौखा की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को श्यामकलां के खसरा नं. 890/41 रकबा 0.8500 हैक्टेयर की किस्म भूमि बरानी 3 मे से रकबा 0.1600 हैक्टेयर भूमि पर बाड लगाकर अतिक्रमण करना बताया है। पटवारी इन्दौखा की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय नायब तहसीलदार नावां द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 27.02.2023 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। अपीलान्ट का कथन है कि न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 13.04.2023 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर दिया गया। तथा ग्राम श्यामकलां के आराजी राज खसरा नं. 890/41 रकबा 0.85 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय में से 0.16 हैक्टर भूमि से अपीलान्ट को बेदखल कर लगान 1.00 का पचास गुणा से राशि रूपये 50 रूपये अक्षरे पचास रूपये जूर्माना आरोपित किया गया ... व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:20:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला ... कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

3 अपीलान्ट की अपील दिनांक 03.01.2024 को मियाद का बिन्दु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्र क्रमांक/रीडर/2024/11 दिनांक 07.02.2024 के द्वारा रिकार्ड इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

4 वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र पेश कर कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा निर्णय दिनांक 13.04.2023 अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट को आक्षेपित निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र में अपील में विलम्ब के सम्बन्ध में जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होने से अपील में हुआ विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

5 बहस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। अपीलार्थी के वकील ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा यह आदेश पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी घोषित कर दिया गया , इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवायी का पर्याप्त अवसर दिये बिना तथा अल्प समय में विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना अतिक्रमी घोषित किया जाना न्याय संगत नहीं है। मौजा ग्राम कांकरिया पटवार हल्का इन्दौखा के ख0न0 133, 132 में अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है। जो अपीलान्ट जागीरदारी प्रथा से काश्त करता आ रहा है। यह भूमि मौजा ग्राम कांकरिया व मौजा ग्राम श्यामकलां के सीमाओं पर स्थित है। पटवारी हल्का ने बिना किसी सीमा बिन्दु से नाप–चौक किये बिना ही सीधा ही धारा 91 की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर दी गयी। खसरा संख्या 133 का रकबा सेटलमेण्ट अधिकारियों द्वारा कम किया गया है जो विधि विरूद्व किया गया है। खसरा संख्या 890/41 से संबंधित भू–प्रबन्ध विभाग का मिलान क्षैत्रफल प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 890/41 रकबा 0.85 यह खसरा नम्बर गत किस खसरे से बना है वह कॉलम रिक्त है। कांकरिया गांव का लगभग 100 बीघा भूमि का रकबा बढ़ गया जिससे भूणी गावं से समायोजित किया हुआ है। उक्त भूमि दोनो गावों (काकरिया व श्यामकला) के सीमा पर स्थित है, एवं सीमा पर बड़े बड़े लगे हुए है जिससे भी यह साबित होता है उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। प्रकरण में उल्लेखित भूमि जो सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा जो कम कर दी गयी उसकी खातेदारी दर्ज करवाने बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां में प्रकरण विचाराधीन है। इसलिए श्रीमान यह प्रकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6 राजकीय पैरोकार ने इस प्रकरण के संबंध में यह निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ जिसको नियमानुसार नोटिस जारी कर पर्याप्त समय दिया जाकर प्रकरण निस्तारित कर धारा 91 के तहत अतिक्रमण हटाने निर्णय विधिसम्मत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:20:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

7 वकील अपीलान्ट एवं राज पैरोकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.04.2023 को निर्णय पारित कर ग्राम श्यामकलां के आराजी राज खसरा नं. 890/41 रकबा 0.85 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय में से 0.1600 हैक्टर भूमि पर बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है। उक्त भूमि पर से अपीलान्ट को बेदखल कर लगान 1.00 का पचास गुणा से राशि रूपये 50 रूपये अक्षरे पचास रूपये जूर्माना आरोपित किया गया। प्रकरण मे गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार नावां को प्रतिप्रेपित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## आदेश

अतः न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा पारित आदेश 48/2022 दिनांक 13.04.2023 अपास्त किया जाकर हस्तगत प्रकरण तहसीलदार नावां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अतिक्रमित भूमि की पर्याप्त जांच कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख इस आदेश की प्रति के साथ लौटाया जावें।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:20:26 IST
Reason: SelfAttested